□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3020
06 f□□□□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

□□□□□□□□ □□हु□ □□□

3020. श्री □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
श्री □□□□ □□□□:
श्री रंजीत सिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः
श्री □□□□ □□□□□□□□□ □□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या निमोनिया से बच्चों को होने वाली मौतों के संबंध म भारत का विश्व म दूसरा स्थान है तथा यदि हां, तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी मौतों का दादर और नगर हवेली और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार आंकड़ों का संग्रहण किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश म ग्रामीण क्षेत्रों म निवारणीय और उपचारणीय रोगों विशेषकर निमोनिया से प्रत्येक वष सात लाख शिशुओं को मौत होती ह तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण ह;

(घ) क्या उक्त रोगों के उपचार हेतु विशेषज्ञ डॉक्टरों और अस्पतालों को कमी के संबंध म राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई आकलन किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध म क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे ह तथा नए विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति कब तक किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा निमोनिया के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए क्या अन्य ठोस उपाय किए जा रहे ह?

□त□□
स□□स्थ्य □□ □f□□□□ □ल□□□ □□ज□ □त्री (श्री □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क): यूनिसेफ विश्लेषण 2019 के अनुसार निमोनिया के कारण होने वाली बच्चों को मौतों के संबंध म विश्व म भारत का दूसरा स्थान है। इस विश्लेषण के अनुसार देश म वष 2018 म 127000 बच्चों को निमोनिया से मौत हुई थी।

नवंबर, 2019 म स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य मिशन के प्रजनन, मातृत्व और नवजात, बाल किशोर स्वास्थ्य व पोषण (आरएमएनसीएचए+एन) के तहत बाल्यावस्था निमोनिया के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए सांस (निमोनिया को सफलतापूवक विफल बनाने हेतु सामाजिक जागरूकता और कारवाई) पहल का आरंभ किया है।

(ख): विगत तीन वर्षों म स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) म राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित निमोनिया के कारण पांच वष से कम आयु को बच्चों को मौतों का विवरण अनुलग्नक-I म है।

(ग): नमूना पंजीकरण प्रणाली 2017 के अनुसार नवजात मृत्युदर (आईएमआर) प्रति 1000/- जीवित जन्म पर 33 है जो एक वष म आठ लाख नवजात मौतों म पर्रिवर्तित होती है और इन अनुमान म 1.2 लाख मौत निमोनिया के कारण होती है जिनका निवारण और उपचार किया जा सकता है।

(घ) और (ङ): जन-स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। जन-स्वास्थ्य कद्रों म विशेषज्ञ डॉक्टरों को भर्ता सहित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामलों को जिम्मेदारी राज्य सरकारों को है। जन-स्वास्थ्य कद्रों म डॉक्टरों को कमी राज्यों को नीति और संदभ के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। तथापि, बुर्लिटिन ऑन रुरल हैल्थ इस्टेटिस्टिक्स इन-इंडिया, 2019 के अनुसार विशेषज्ञ डॉक्टरों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कमी अनुलग्नक-II म है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा समग्र संसाधन पर्रिपेक्ष्य म कायक्रम कायान्वयन योजना (पीआईपी) म प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर संविदात्मक आधार पर विशेषज्ञों सहित डॉक्टरों को भर्ता हेतु स्वास्थ्य पर्रिचया प्रणाली सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीको सहायता प्रदान को जाती है।

एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जन-स्वास्थ्य कद्रों म डॉक्टरों को तैनाती हेतु शिथिल मानदंड अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को जन-स्वास्थ्य कद्रों म डॉक्टरों को तैनाती के लिए निष्पादन आधार्रित प्रोत्साहन राशि, दुगम क्षेत्र भत्ता, ग्रामीण और विरल क्षेत्रों म आवास एवं यातायात सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान को जाती है।

(च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदात्मक आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवाएं लेने के लिए विशेष प्रावधान है। इसके अलावा भारत सरकार बाल्यावस्था निमोनिया से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निम्नलिखित कायकलाप चला रही है।

- बाल्यावस्था निमोनिया के कारण मौतों को कम करने के लिए कारवाई बढ़ाने हेतु सांस (निमोनिया को सफलतापूवक विफल बनाने हेतु सामाजिक जागरूकता और कारवाई) पहल आरंभ को। सांस पहल के तहत तीन कायनीति शामिल ह: i) राष्ट्रीय बाल्यावस्था निमोनिया उपचार व प्रबंधन पर बाल्यावस्था निमोनिया प्रबंधन दिशा-निदश ii) निमोनिया को पहचान और मानकोकृत प्रबंधन हेतु सेवा प्रदाताओं का कौशल निमाण और प्रशिक्षण iii) व्यावहार्रिक पर्रिवतन और उन्नत पर्रिचया मांग पर लक्षित पर्रिवारों और माता-पतिओं के बीच व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने हेतु सांस पहल का चहुमुखी प्रचार-प्रसार।
- निमोनिया के निवारण हेतु खसरा, हिमोइर्नाफिलुंजा (बी) और निम्यूकोकल वैक्सीन पर सावभौमिक प्रतिरक्षण कायक्रम (ईयूआईपी) पर कद्रित।
- मां का संपूण स्नेह (मां) के तहत पहले 6 माह तक संपूण स्तनपान और नवजात व छोटे शिशु के आहार (आईवाईसीएफ) पर्रिपाठी का शीघ्र आरंभ।
- तीव्र श्वसन संक्रमण (एआरआई) प्रबंधन पर प्राथमिक स्वास्थ्य कद्र, प्रथम रेफरल यूनिट, समुदाय स्वास्थ्य कद्र और जिला अस्पतालों म चिकित्सा अधिकारी और नर्सों के क्षमता निमाण हेतु सुविधा कद्र आधार्रित नवजात और बाल्यावस्था रोग प्रबंधन (एफ-आईएमएनसीआई) प्रशिक्षण।

□□□ग□□ 1

एचएमआईएस के अनुसार निमोनिया के कारण 5 से कम मौतों को संख्या का डाटा

क्र.सं.	□ज□	2016-17	2017-18	2018-19
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	10	0
2	आंध्र प्रदेश	163	576	437
3	अरुणाचल प्रदेश	6	10	12
4	असम	448	1050	793
5	बिहार	470	836	544
6	चंडीगढ़	11	45	51
7	छत्तीसगढ़	565	669	646
8	दादरा और नागर हवेली	11	26	17
9	दमन और दीव		0	2
10	दिल्ली	296	817	792
11	गोवा	6	11	7
12	गुजरात	520	1337	1166
13	हरियाणा	184	138	456
14	हिमाचल प्रदेश	56	52	68
15	जम्मू और कश्मीर	38	45	114
16	झारखंड	100	225	236
17	कनाटक	372	691	625
18	केरल	5	157	111
19	लक्षद्वीप	1	0	2
20	मध्य प्रदेश	1497	1907	1977
21	महाराष्ट्र	781	980	1015
22	मणिपुर	12	13	9
23	मेघालय	632	429	409
24	मिजोरम	75	85	67
25	नगालड	24	31	29
26	ओडिशा	1012	1125	1262
27	पुदुच्चेरी	4	52	42
28	पंजाब	130	205	153
29	राजस्थान	1482	1676	1198
30	सिक्किम	3	6	11
31	तमिलनाडु	89	396	267
32	तेलंगाना	65	189	182
33	त्रिपुरा	98	81	57
34	उत्तर प्रदेश	118	990	568
35	उत्तराखंड	14	32	49
36	पश्चिम बंगाल	723	1390	1575
	अखिल भारत	10015	16282	14949

सीएचसी म कुल विशेषज्ञ (कुल विशेषज्ञ [सजन, □□□ □□ □□□□, चिकित्सक और बाल रोग विशेषज्ञ])						
क्र.□□	□□ज□/ □□ □□ज□ क्षेत्र	(31 □□□, 2018 □□)				
		□□□क्षे□[1]	□स□□□□	□□□□	रिक्त	□□□
		[□□]	[□□]	[□□]	[□□-□□]	[□□-□□]
1	आंध्र प्रदेश	772	533	384	149	388
2	अरुणाचल प्रदेश	252	एनए	4	एनए	248
3	असम	688	एनए	158	एनए	530
4	बिहार	600	एनए	82	एनए	518
5	छत्तीसगढ़	676	652	57	595	619
6	गोवा	16	5	10	*	6
7	गुजरात	1452	1177	118	1059	1334
8	हरियाणा	452	59	17	42	435
9	हिमाचल प्रदेश	364	एनए	4	एनए	360
10	जम्मू और कश्मीर	336	344	256	88	80
11	झारखंड	684	684	92	592	592
12	कनाटक	824	824	498	326	326
13	केरल	908	30	40	*	868
14	मध्य प्रदेश	1236	1236	248	988	988
15	महाराष्ट्र	1444	823	485	338	959
16	मणिपुर	92	4	3	1	89
17	मेघालय	112	3	9	*	103
18	मिजोरम	36	33	0	33	36
19	नगालड	84	एनए	8	एनए	76
20	ओडिशा	1508	1529	253	1276	1255
21	पंजाब	604	593	105	488	499
22	राजस्थान	2352	1731	565	1166	1787
23	सिक्किम	8	एनए	0	एनए	8
24	तमिलनाडु	1540	एनए	210	एनए	1330
25	तेलंगाना	364	320	112	208	252
26	त्रिपुरा	88	0	2	*	86
27	उत्तराखंड	268	268	29	239	239
28	उत्तर प्रदेश	3288	2099	192	1907	3096
29	पश्चिम बंगाल	1392	669	125	544	1267
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16	9	0	9	16
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0

32	दादरा एवं नागर हवेली	8	0	0	0	8
33	दमन और दीव	8	6	3	3	5
34	दिल्ली	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	12	0	0	0	12
36	पुदुच्चेरी	12	4	5	*	7
	[illegible][2]/ [illegible]	22496	13635	4074	10051	18422

[illegible]: [illegible] राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार रिक्तियों और कमी के कुल आंकड़े हैं। जिनमें कुछ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में अतिशयता को नजरअंदाज किया गया है।

1 [illegible] * [illegible]

2 रिक्तियों और कमियों की समग्र प्रतिशतता आंकलित करने के लिए, उन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जिनकी जनशक्ति के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*****